रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2009/वैशाख 1, 1931

No. 236] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2009/VAISAKHA 1, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 273(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;

(ख) ''नियत तारीख'' का अर्थ 1 अक्तूबर, 2007 से है जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया था;

(ग) ''संबद्ध'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कंपनी से संबंधित हो—

(i) जो कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या एक या अधिक मध्यवर्तियों के रूप में भाग लेता हो;

(ii) जिसके पास कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर हों और उसे कंपनी में छब्बीस प्रतिशत से कम का मतदान अधिकार प्राप्त न हो;

(iii) जो निदेशक मण्डल या शासी बोर्ड के आधे से अधिक सदस्यों या कंपनी के शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता हो; या

(iv) जो कंपनी के कुल देनदारी के कम से कम दस प्रतिशत की गारंटी देता हो ।

(घ) ''बोर्ड'' का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (i) के अंतर्गत स्थापित पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है;

(ङ) ''प्राकृतिक गैस पाइपलाइन'' का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 से है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें अधिनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों या विनियमों में परिभाषित किया

गया है, का क्रमश: अधिनियम या नियमों या विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, में दिया गया अर्थ ही होगा ।

3. **कार्यक्षेत्र**

ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे—

(क) जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव करता है और उसे ऐसा करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) जो नियत तारीख से पहले से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार कर रहा हो और उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो; या

(ग) जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से पूर्व प्राधिकृत किया गया है और उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 17 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है ।

4. **प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में घोषित करने के उद्देश्य**

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसी विशिष्ट मार्ग में स्रोत से सुपुर्दगी प्वाइंट तक प्राकृतिक गैस के बल्क परिवहन की व्यापक तौर पर स्वीकृत प्रणाली है । प्राकृतिक गैस के परिवहन में स्वाभाविक एकाधिकार की अवधारणा को इसकी पूंजी गहनता, सुरक्षा तथ्यों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को देखते हुए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है । इसलिए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा की जाती है ताकि प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के आधारभूत ढांचे के अधिकतम उपयोग द्वारा व्यर्थ के निवेश से बचा जा सके ।

(ख) किसी कंपनी द्वारा बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता की अनुमति देने की अवधारणा से प्राकृतिक गैस के स्वतंत्र वाहक को प्रोत्साहन मिलेगा जो कंपनियों के साथ ठेका वाहक या सामान्य वाहक व्यवस्थाओं के लिए करार करेगा जिसमें प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए ऐसे आधारभूत ढांचे शामिल होंगे जिनके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी प्राकृतिक गैस बाजारों का विकास होगा ।

5. **प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए ठेका वाहक प्रणाली**

(क) ठेकागत वाहक प्रणाली का अर्थ है कि किसी कंपनी की निजी आवश्यकता की तुलना में किसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता अन्य किसी कंपनी के लिए उपलब्ध होगी बशर्ते कि अन्य कंपनी द्वारा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा का परिवहन करने के लिए सुनिश्चित ठेका किया जाए, जो परस्पर सहमत अन्य निबंधन और शर्तों के आधार पर होंगे, और अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों तथा भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के अधीन होंगे ।

(ख) प्राकृतिक गैस के परिवहन का ठेका केवल प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए ही होगा और यह प्राकृतिक गैस के स्रोत की बाध्यता के बिना होगा ।

6. **प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सामान्य वाहक प्रणाली**

(क) ठेकागत वाहक प्रणाली का अर्थ है कि किसी कंपनी की निजी आवश्यकता की तुलना में किसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता तथा ठेका वाहक आधार पर आबंटित क्षमता किसी अन्य कंपनी के लिए उपलब्ध होगी बशर्ते कि अन्य कंपनी द्वारा न्यून्तम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा का परिवहन करने के लिए सुनिश्चित ठेका किया जाए, जो परस्पर सहमत अन्य निबंधन और शर्तों के आधार पर होंगे, और अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के प्रावधान तथा भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के अधीन होंगे :

बशर्ते कि यदि सामान्य वाहक क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो कंपनी एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए इसका ठेका कर सकती है ।

स्पष्टीकरण—इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को अपनी निजी और सहायक कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका सबसे पहले इस्तेमाल करने का अधिकार होगा तथा यह पहले इस्तेमाल के अधिकार तक ही सीमित होगा । प्रथम इस्तेमाल करने के इस अधिकार को वरियता नहीं माना जाना चाहिए ।

(ख) प्राकृतिक गैस के परिवहन का ठेका केवल प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए ही होगा और यह प्राकृतिक गैस के स्रोत की किसी बाध्यता के बिना होगा ।

(ग) किसी कम्पनी को किसी निश्चित समय तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में उपलब्ध सामान्य वाहक क्षमता का आबंटन ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बुकिंग मांगने पर किया जाएगा ।

(घ) यदि किसी निश्चित अवधि में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में सामान्य वाहक क्षमता उपलब्ध नहीं है और कोई दूसरी कम्पनी एक वर्ष से कम की अवधि के लिए बुकिंग चाहती है तो इस अनुरोध को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पहुंच कोड) विनियम, 2008 तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार विनियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ।

(ङ) जब सामान्य वाहक आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता कम्पनी की कुल क्षमता आवश्यकताओं के तैंतीस प्रतिशत से कम हो और अन्य कम्पनियों के साथ सुनिश्चित क्षमता का ठेका किया गया हो, तो उसे (i) फर्म ठेकों के समाप्त होने पर, या (ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता का विस्तार करके उपलब्ध कराया जाए :

बशर्ते कि जब सामान्य वाहक क्षमता कम्पनी की कुल क्षमता आवश्यकताओं के दस प्रतिशत से कम हो और अन्य कम्पनियों के साथ सुनिश्चित ठेका किया गया हो, तो बोर्ड स्वत: आधार पर तथा सार्वजनिक परामर्श की यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसी अवधि के लिए तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अन्य निबंधन और शर्तों पर किसी कम्पनी को अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए कह सकता है ।

7. सामान्य या ठेका वाहक क्षमता के लिए सामान्य सिद्धांत

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कम्पनी अपनी वेबसाइट पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में, उपलब्ध सामान्य वाहक या ठेका वाहक क्षमता को प्रकाशित करेगी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पहुंच कोड) विनियम 2008 के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करेगी ।

(ख) क्षमता की बुकिंग करने वाली कम्पनी को बोर्ड द्वारा इसके लिए बनाए जाने वाले संगत विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी निबंधन और शर्तों के आधार पर खुले बाजार में क्षमता सौंपने या व्यापार करने की अनुमति दी जाए ।

(ग) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कम्पनी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड रखकर और आबंटन के आधार पर पारदर्शिता अपनाते हुए उपलब्ध सामान्य वाहक या ठेका वाहक क्षमता का आंबटन करेगी ।

8. ठेका वाहक आधार पर आबंटित निजी आवश्यकता और आंबटित क्षमता का सत्यापन

कम्पनी अपनी निजी आवश्यकता और वाहक क्षमता पर आधारित आबंटित क्षमता के ब्यौरों का उल्लेख करेगी जिसे बोर्ड द्वारा यथापेक्षित समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा ।

9. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में ठेका वाहक या सामान्य वाहक क्षमता का निर्धारण

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में सामान्य वाहक या ठेका वाहक क्षमता निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल है—

(क) विनियम 3 के खण्ड (क) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खण्ड (जे) में उपलब्ध कराए गए आधार पर निर्धारित किया जाएगा ;

(ख) विनियम 3 के खण्ड (ख) को बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए विनियमों के अनुसार तथा विनियम 3 के खण्ड (ग) को बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए संगत विनियमों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

10. सामान्य या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मौजूदा पाइपलाइन की घोषणा करना

(1) यदि बोर्ड का यह मत हो कि प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किसी मौजूदा पाइपलाइन को सामान्य या ठेका वाहक के रूप में घोषित करना आवश्यक या व्यावहारिक हो तो—

(क) वह इसके लिए आपत्तियों और सुझाव आंमत्रित करके अपने आशय का व्यापार प्रचार-प्रसार करेगा जो आमंत्रण की तारीख से तीन सप्ताह से कम की अवधि का नहीं होगा ;

(ख) बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कम्पनी को आपत्तियों और सुझावों के लिए आमंत्रण की समाप्ति तारीख से पंद्रह दिनों की न्यूनतम सूचना अवधि में सुनवाई का अवसर भी देगा ।

(2) आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने तथा उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कम्पनी की सुनवाई के बाद बोर्ड पाइपलाइन को सामान्य या ठेका वाहक पाइपलाइन घोषित कर सकता है जो इसके लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों के अधीन होगा ।

(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के बावजूद कम्पनी स्वत: आधार पर बोर्ड को सामान्य या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा करने के लिए आवेदन कर सकती है तथा बोर्ड कम्पनी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसे आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिनों की अवधि के अंदर संगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को, जैसा उचित समझे, निबंधन और शर्तों के आधार पर सामान्य या ठेका वाहक के रूप में घोषित कर सकता है ।

11. विविध

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कम्पनी और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता बुक करने वाली कम्पनी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए पहुंच कोड) विनियम, 2008 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संगत प्रावधानों का पालन करेगी ।

(ख) यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान के कार्यन्वयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खण्ड-I]

रतन पी. वातल, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2009

G.S.R. 273(E).— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Natural Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(c) "associate" means a person in relation to the entity—

(i) who participates, directly or indirectly or through one or more intermediaries, in the management or control or capital of the entity;

(ii) who holds, directly or indirectly, shares carrying not less than twenty-six per cent of the voting power in the entity;

(iii) who appoints more than half of the Board of directors or members of the governing board, or one or more executive directors or executive members of the governing board of the entity; or

(iv) who guarantees not less than ten per cent of the total borrowings of the entity.

(d) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(e) "natural gas pipeline" means natural gas pipeline as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. **Scope.**

These regulations shall apply to an entity—

(a) which proposes to lay, build, operate or expand a natural gas pipeline and has been authorized to do so under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;

(b) which has been laying, building, operating or expanding natural gas pipeline before the appointed day and has been authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008; or

(c) which has been authorized by the Central Government before the appointed day and accepted by the Board for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline. under the provisions specified in regulation 17 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

4. **Objectives for declaring natural gas pipeline as common carrier or contract carrier.**

(a) Natural gas pipeline is widely accepted mode of bulk transportation of natural gas from a source to a delivery point over a particular route. The concept of natural monopoly in transportation of natural gas is universally accepted in view of its capital intensiveness, safety factors and the need for protecting consumer's interests. Therefore, consumer interest is best served by promoting competition, avoiding infructuous investments by optimum utilization of infrastructure of natural gas pipelines.

(b) The concept of allowing capacity in a natural gas pipeline to be utilized by any entity on a non-discriminatory basis shall incentivize emergence of independent shippers of natural gas who shall enter into contract carrier or common carrier arrangements with entities owning such infrastructure for transportation of natural gas which, in turn, shall lead to development of competitive natural gas markets.

5. **Contract carrier system for natural gas pipelines.**

(a) A contract carrier system implies that the capacity in a natural gas pipeline, over and above the entity's own requirement, shall be available to any other entity subject to the latter entering into a firm contract for transportation of a volume of natural gas for a period of minimum one year, on such other terms and conditions as may be mutually agreed, and subject to the provisions of regulations notified from time to time under the Act and on payment of natural gas pipeline tariff as authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008.

(b) The contract for transportation of natural gas shall only be for transportation of natural gas and without any obligation as to the sourcing of the natural gas.

6. **Common carrier system for natural gas pipelines.**

(a) A common carrier system implies that the capacity in a natural gas pipeline, over and above the entity's own requirement and capacity allocated on a contract carrier basis, shall be available to any other entity subject to the latter entering into a contract for transporting volume of natural gas normally for a period of less than one year, on such other terms and conditions as may be mutually agreed, and subject to the provisions of regulations notified from time to time under the Act and on payment of natural gas pipeline tariff as authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008:

Provided that if the common carrier capacity is not fully utilized, the entity may contract the same for a period of one year or more.

Explanation.—For the purpose of these regulations, entity laying, building, operating or expanding a common carrier or contract carrier natural gas pipeline shall have right of first use for its own and its associates' requirement and shall be limited to the right of first use. Such right of first use shall not be deemed to be preferential access.

(b) The contract for transportation of natural gas shall be only for transportation of natural gas and without any obligation as to the sourcing of the natural gas.

(c) Common carrier capacity available in natural gas pipeline at any given point of time shall be allocated to any entity seeking booking of the same on a non-discriminatory "first-come-first served' basis.

(d) In case common carrier capacity is not available in a natural gas pipeline at any given point of time and another entity seeks booking of the same for a period of less than one year, the request shall be accommodated by following the procedure set out in regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 and as amended from time to time.

(e) When the extra capacity in a natural gas pipeline to be provided on a common carrier basis is less than thirty three per cent of the sum of the capacity requirements of the entity and the firmed up contracted capacity with other entities, the same will be made available - (i) on expiry of firm contracts, or (ii) by way of expansion of capacity in the natural gas pipeline :

Provided that when the common carrier capacity is less than ten per cent of the sum of

the capacity requirements of the entity and the firmed up contracted capacity with other entities, the Board may on a suo motu basis and after following the due process of public consultation require an entity to build extra capacity on such time lines and other terms and conditions as may be specified by the Board.

7. General principles for common or contract carrier capacity.

(a) Entity laying, building, operating or expanding natural gas pipeline shall publish the common carrier or contract carrier capacity available in a natural gas pipeline on its website and follow the procedure as per the relevant provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract.Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

(b) Entity booking the capacity may be allowed to assign or trade the capacity in the open market based on such terms and conditions as may be specified by the Board under the relevant regulations to be framed by the Board for the same relating to fostering fair trade and competition amongst entities.

(e) Entity laying, building, operating or expanding natural gas pipeline shall allocate the common carrier or contract carrier capacity available on a transparent basis by maintaining a record of the applications received and the basis of allocation.

8. Verification of own requirement and capacity allocated on a contract carrier basis.

The entity shall specify the details of its own requirement and the capacity allocated on a contract carrier basis which shall be verified from time to time by the Board as required.

9. Determination of contract carrier or common carrier capacity in natural gas pipeline.

The common carrier or contract carrier capacity in respect of natural gas pipeline covered under—

(a) clause (a) of regulation 3 shall be determined as per the basis provided in clause (j) of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 and as approved by the Board as per the basis specified in the relevant regulations for determining the capacity of the natural gas pipeline;

(b) clause (b) of regulation 3 shall be as approved by the Board as per the relevant regulations for determining the capacity of the natural gas pipeline and clause (c) of regulation 3 shall be as authorized by the Central Government or as approved by the Board as per the relevant regulations for determining the capacity of the natural gas pipeline.

10. Declaring of existing pipeline for transportation of natural gas as a common or contract carrier.

(1) If the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to declare an existing pipeline for transportation of natural gas as a common or contract carrier,—

(a) it may give wide publicity of its intention to do so by inviting objections and suggestions within a period of not less than three weeks from the date of invitation;

(b) the Board may also provide the entity owning the natural gas pipeline an opportunity of being heard within a minimum notice period of fifteen days from the close of the invitation for objections and suggestions.

(2) After considering the objections and suggestions received and after hearing the entity owning the natural gas pipeline under sub-regulation (1), the Board may declare the pipeline as a common or contract carrier subject to such terms and conditions as it may fix.

(3) Notwithstanding anything in sub-regulation (1) and sub-regulation (2), the entity may, on a suo motu basis, apply to the Board seeking declaration of a natural gas pipeline as a common or contract carrier and the Board after giving an opportunity of hearing to the entity, may, within a period of fifteen days from the receipt of such an application, declare the relevant natural gas pipeline as a common or contract carrier on such terms and conditions as it deems fit.

11. Miscellaneous.

(a) Entity laying, building, operating or expanding natural gas pipeline and entity booking capacity in natural gas pipeline shall abide by the relevant provisions specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 and other relevant regulations.

(b) If any dispute arises with regards to the implementation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

[F. No. S-Admn/II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.